फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय – मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानरेली रोड़, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय द्वितीय तल, प्रेस्टीज टावर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नितेश कुमार खण्डेलवाल।

–प्रार्थी

बनाम

1. उदा पुत्र श्री रेमता पता – 44, गुर्जर बस्ती, ग्राम कालेसरिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान 313331

एवं

पता – देवनारायण प्लाईवुड, भीलवाडा राजस्थान 313331
निवासी – पटटा नम्बर – 41, ग्राम कालेसरिया, ग्राम पंचायत कालेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान 313331

– ऋणी

2. श्रीमती मांगी पत्नि श्री उदा, पता – 44, गुर्जर बस्ती, ग्राम कालेसरिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान 313331

एवं

निवासी – पटटा नम्बर – 41, ग्राम कालेसरिया, ग्राम पंचायत कालेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान 313331

– सहऋणी
– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 79/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 24.10.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 024–02400853 के द्वारा 10,65,616/– अक्षरे दस लाख पैसठ हजार छः सौ	

न्यायालय जिला कलक्टर

सोलह रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 41, ग्राम कालेसरिया, ग्राम पंचायत कालेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 07.10.2020 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 024–02400583 में बकाया रूपये 9,49,513/– रूपये अक्षरे नो लाख उनचास हजार पांच सौ तेरह रूपये मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.12.2020 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये, परन्तु उक्त नोटिस की जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। एक आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 41, ग्राम कालेसरिया, ग्राम पंचायत कालेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 246.75 वर्गगज है, जो कि उदा पुत्र श्री रमता के स्वामित्व की है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी प्रकरण में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 27.01.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– एक आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 41, ग्राम कालेसरिया, ग्राम पंचायत कालेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 246.75 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री छीतर जी का मकान, उत्तर :– श्री हीरा जी प्रजापत का बाडा, दक्षिण :–

श्री वन्ना जी का मकान हैं।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)